अनुदान संख्या 9 - नागर विमानन मंत्रालय
GRANT No. 9 - MINISTRY OF CIVIL AVIATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted-					
मूल	Original	1000,92,00		1010,70,00	819,47,85	-191,22,15
पूरक	Supplementary	9,78,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					190,26,50
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted-			1393,00,00	1220,41,43	-172,58,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					155,41,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹19122.15 लाख) अगस्त, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹978.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत थीं ।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹19122.15 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹ 978.00 lakhs obtained in August, 2011 and March, 2012 and constituted 19 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	2605.00			
पू.	S.	1.00	1879.50	1904.09	+ 24.59
पु.	R.	- 726.50			
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"				
नागर विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	96723.00			
पू.	S.	977.00	79517.50	79396.20	-121.30
पु.	R.	-18182.50			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess +
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3075" अन्य परिवहन सेवाएं	Major Head "3075" Other Transport Services				
मू.	O.	759.00	646.50	647.56	+1.06
पु.	R.	-112.50			

(I) ₹7354.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹7348.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "3053" - "सामान्य - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सहायता अनुदान" के अंतर्गत विभिन्न अनुदान अभिकरणों की परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए ।

(I) Provision of ₹ 7354.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹7348.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3053" – "General – Other Expenditure – Grants in aid to AAI for NE region" – due to non-finalisation of the projects of different Grant agencies.

(II) मुख्य शीर्ष "3053" - "सामान्य - अन्य व्यय - हज चार्टरों के प्रचालन के लिए सहायिकी" के अंतर्गत ₹60000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹977.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹60977.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सेवा कर को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹375.38 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "3053" – "General – Other Expenditure – Subsidy for operation of Haj Charters" - the original provision of ₹60000.00 lakhs was augmented to ₹60977.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹977.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹375.38 lakhs – due to non-finalisation of service tax issue by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - नागर विमानन मंत्रालय" के अंतर्गत ₹696.82 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2596.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्शदाताओं को नियुक्त न किए जाने, विदेशी दौरे कम किए जाने, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के लिए प्रशिक्षण को अंतिम रूप न दिए जाने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई ।

(III) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Civil Aviation" - saving of ₹696.82 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2596.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-appointment of consultants, less foreign tours, non-finalisation of training for International Air Transport Association and reduction of provision at revised estimates stage.

(IV) मुख्य शीर्ष "3053" - "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(IV) Under Major Head "3053" - "General" – savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - नागर विमानन महानिदेशक" - ₹923.33 लाख की बचत (₹3706.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय की स्थापना से संबंधित परियोजनाओं को अंतिम

(A) "Direction and Administration – Director General Civil Aviation" – saving of ₹923.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3706.25 lakhs)

रूप न दिए जाने की वजह से विदेश मंत्रालय और एअरलाइनों द्वारा दावे प्रस्तुत न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "निरीक्षण" -

(क) "वैमानिक निरीक्षण नियंत्रक" - ₹234.16 लाख की बचत (₹1569.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ख) "बाह्य इंटल.अभिकरण/विदेशों को शामिल करने वाली विमानन प्रशिक्षण परियोजना" - ₹119.46 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विमानन प्रशिक्षण से संबंधित परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई ।

(गा) "अन्य व्यय" -

(क) "नागर विमानन सुरक्षा" - ₹3089.54 लाख की बचत (₹4028.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो पुनर्गठन प्रक्रिया के पूरी न होने, सूचना प्रौद्योगिकी सम्बद्ध अधिप्राप्तियों, क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ख) "हवाई खेलों के विकास के लिए एयरो क्लब आफ इंडिया को सहायता अनुदान" - ₹515.60 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोटेशनें निम्न दरों पर प्राप्त होने और विनिमय दर में घटबढ़ होने की वजह से सिमुलेटर और अन्य हवाई खेल उपस्करों की खरीद संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "अन्य कठिन क्षेत्रों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सहायता अनुदान" - ₹5557.00 लाख की बचत (₹17467.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार और अन्य अभिकरणों से निकासी प्राप्त न होने

was due to non- submission of claims by Ministry of External Affairs and Airlines owing to non-finalisation of Projects related to setting up of office and economy measures.

(B) "Inspection" –

(a) "Controller of Aeronautical Inspection" – saving of ₹234.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 1569.75 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and reduction of provision at revised estimates stage.

(b) "Aviation Training Project involving external Intl Agency/Foreign countries" – saving of ₹119.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non finalisation of projects relating to Aviation Training.

(C) "Other Expenditure" –

(a) "Civil Aviation Security" – saving of ₹3089.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4028.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-completion of Bureau of Civil Aviation Security re-organization process, non-finalization of IT related procurements, proposal regarding setting up of Regional Offices and reduction of provision at revised estimates stage.

(b) "Grants-in-aid to Aero Club of India for Development of Aero - Sports" - saving of ₹515.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for purchase of simulator and other Aero Sports Equipment owing to receipt of quotations at lower rates and exchange rate variations.

(c) "Grants-in-aid to AAI for other Crucial Areas" – saving of ₹5557.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17467.00 lakhs) was due to non-finalisation of various projects

की वजह से "गगन" सहित विभिन्न परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई ।

including 'GAGAN' owing to non-clearance from State Government and other agencies.

(V) मुख्य शीर्ष "3075" - "अन्य - अन्य व्यय - रेलवे सुरक्षा आयोग" के अंतर्गत ₹111.44 लाख की बचत (₹759.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा और यात्रा भत्ते के बिल कम प्राप्त होने के कारण हुई ।

(V) Under Major Head "3075" - "Others - Other Expenditure - Commission of Railway Safety" - saving of ₹111.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹759.00 lakhs) was due to receipt of less bills towards leave travel concession, medical and travelling allowance.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹53.05 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थी ।

(VI) Under one head saving of ₹53.05 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	2000.00	720.00	..	-720.00
पु.	R.	-1280.00			
मुख्य शीर्ष "5053" नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5053" Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	136700.00	122939.00	121946.93	-992.07
पु.	R.	-13761.00			
मुख्य शीर्ष "7053" नागर विमानन के लिए कर्ज	Major Head "7053" Loans for Civil Aviation				
मू.	O.	600.00	100.00	94.50	- 5.50
पु.	R.	-500.00			

(I) ₹2300.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :-

(का) मुख्य शीर्षों "4552" - "विमानपत्तन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण" - ₹2000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दावा प्रस्तुत न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "5053" - "विमानपत्तन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - पवन हंस हेलिकाप्टर्स लिमिटेड" - ₹300.00 लाख परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "5053" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "विमानपत्तन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग)" - ₹505.50 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - नागर विमानन महानिदेशालय" - ₹3886.57 लाख की बचत (₹5100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाइसेंसों के लिए आन लाइन जांच करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग संबंधी परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने और मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "अन्य व्यय - नागर विमानन सुरक्षा" - ₹10061.00 लाख की बचत (₹10700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और रेडियोलाजी उपस्कर एवं उन्नत चित्रांकन प्रौद्योगिकी की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹2300.00 lakhs remained wholly unutilized in two cases under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" - "Airports – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Airports Authority of India" - ₹2000.00 lakhs – due to non-approval of various projects/schemes for North Eastern Region and non-submission of claim by the Airport Authority of India.

(B) Major Head "5053" - "Airports - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Pawan Hans Helicopters Ltd." - ₹300.00 lakhs - due to non-approval of projects.

(II) Under Major Head "5053"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Airports - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Airports Authority of India (National Airports Division)" - saving of ₹505.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to non-approval of projects.

(B) "General" -

(a) "Direction and Administration – Director General Civil Aviation" – saving of ₹3886.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 5100.00 lakhs) was due to non-finalization of project on Information Technology Networking for online examination for licenses and non receipt of no objection certificate from Ministry of Urban Development for construction of headquarter building.

(b) "Other Expenditure – Civil Aviation Security" – saving of ₹10061.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10700.00 lakhs) was due to non- receipt of no objection certificate from the Ministry of Urban Development for construction of Bureau of Civil Aviation Security Headquarter Building and non-finalisation of proposals relating to purchase of radiological equipment and advance imaging technology.

(III) मुख्य शीर्ष "7053" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग)" के अंतर्गत ₹505.50 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अन्य कठिन क्षेत्रों की विभिन्न स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई ।

(III) Under Major Head "7053" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Airports Authority of India (National Airports Division)" - saving of ₹505.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to non-finalisation of various schemes of other crucial areas by Airport Authority of India.